

पत्रावली प्र. 2 का स्थानांतरण दिनांक
16/5/2025 की पत्रावली

16/5/2025

पत्रावली पेश हुई। लकील प्रार्थी
उपरोक्त प्रार्थना पर सुनी,
पत्रावली व लकील प्रार्थी के
की डिपॉजिट का कबलोकन किया।
पत्रावली वापस काफ़ी दिनांक
23/05/2025 की पत्रावली

सुनी
लिखवाय अधिकारी

23.05.2025

पत्रावली पेश हुई। लकील प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना
पर अलग-अलग धाप 131, 136 UR अथवा शीर्षक
किया जाकर निम्न सूचना है लिखवाय अथवा
शुद्ध पत्रावली किया गया। पत्रावली केवल
शुद्ध धाप नया है किन्तु धाप
दार्जिल प्रार्थी है।

सुनी
लिखवाय अधिकारी
रसोई (सिस्टम) धाप.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी

प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024

1. अशोक कुमार उम्र 59 वर्ष पुत्र भीकमसिंह जाति ब्राम्हण निवासी नौनेरा पृथ्वीसिंह तहसील बसेडी जिला धौलपुर गौ नं० 9602268970

बनाम

—प्रार्थीया

1. श्रीमान तहसीलदार साहब बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

2. अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

—अप्रार्थी


—तरतीबी अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 23.05.2025

पीठासीन अधिकारी :- सुधा रानी भीना आर.ए.एस
अभिभाषक प्रार्थी :- श्री संजीव कुमार शर्मा
अप्रार्थी:-तहसीलदार बसेडी

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट एवं धारा 369 लैण्ड रैगन्यू रूल्स दिनांक 1/8/2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 570 रकबा 0.4400 है, किस्म चाही सोयम खं० नं० 583 रकबा 0.1500 है किस्म बारानी अलिफ, 583/989 रकबा 0.0100 है किस्म गै० मु० मंदिर, ख० नं० 583/990 रकबा 0.0100 है किस्म गै० मु० कुआँ स्थित ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तहसील बसेडी जिला धौलपुर का रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार है तथा गौके पर काविज है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 583 रकबा 0.1500 हैक्टयर के अन्दर उत्तर पश्चिम में ख० नं० 583/989 व 583/990 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी के नम्बरान 583 से लगा हुआ दक्षिण पूर्व में तरतीबी अप्रार्थी सं० 2 की खातेदारी का ख० नम्बर 582/981 गैर मुमकिन सडक है। उक्त नम्बरान ही इस प्रकरण में विवादित है। बन्दोवस्त सन 2005 से पूर्व प्रार्थी की आराजी ख० नं० 583 का गत नम्बर 945, 948/1 तथा ख० नं० 583/989 का गत नम्बर 946 व इसी प्रकार 583/990 का गत नम्बर 947 है। बन्दोवस्त 2005 से पूर्व नहर नरुआ के सहारे सहारे सडक बसेडी से सैपड डाली जा चुकी है इस कारण बन्दोवस्त 2005 में सिचाई विभाग के खसरा नम्बर 582 को तोड़कर गैर मुमकिन सडक 582/981 बनाया गया है। और उक्त नम्बर का इन्द्राज बन्दोवस्त सन 2005 के राजस्व नक्शे में किया गया है जबकि बन्दोवस्त सन 2005 से पूर्व उक्त सडक के खसरा नम्बर 582/981 का इन्द्राज नहीं है। बसेडी तहसील में सैकशियेशन की कार्यवाही हुयी और दोराने सैकशियेशन कार्यवाही राजस्व कर्मचारीयो ने मनमाने तरीके से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 583/990 का अस्तित्व खत्म कर कर दिया है तथा खसरा नम्बर 583/989 गैर मुमकिन मंदिर को उसके मूल स्थान से हटाकर खसरा नम्बर 582/981 के स्थान पर दर्ज कर दिया है। जो कि गलत किया है खसरा नम्बर 583/989 उसके मूल स्थान खसरा नम्बर 583 के उत्तर-पश्चिम में दर्ज करना चाहिए था। उक्त तथ्यों की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हो सकी वह अपने तीनों खसरा नम्बरान पर काविज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा। दिनांक 10/6/2024 को हल्का पटवारी व


उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) रण.



राजस्व प्रार्थी के पास पहुँचे और प्रार्थी से कहने लगे खसरा नम्बर 582/981 गैर मुगकिन
खसरा नम्बर है आप इस जगह से अपना मंदिर हटा लो तो प्रार्थी ने कहा कि यह मंदिर तो
पृथ्वी खातेदारी में है मुझे पूजा अर्चना करने का अधिकार है। सड़क का तो मंदिर के दक्षिणी
पार्श्व में है। इस पर हटका पटवारी नाराज हो गया और मंदिर को तोड़ने की धमकी देकर
जायगीरी में पहली बार यह तथ्य आये कि राजस्व कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से प्रार्थी की
खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 583/990 का अस्तित्व खत्म कर दिया है तथा खसरा
नम्बर 583/989 गैर मुगकिन मंदिर को उसके मूल स्थान से हटाकर खसरा नम्बर 582/981
के स्थान पर दर्ज कर दिया है उक्त अशुद्धि का इन्द्राज करने का राजस्व कर्मचारियों को
कोई अधिकार नहीं था प्रार्थी उक्त अशुद्धि को शुद्ध कराने का अधिकारी है। उपरोक्त
परिस्थितियों में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थना पत्र दायर कर खसरा
नम्बर 583 के उत्तर पूर्व में खसरा नम्बर 583/989 तथा 583/990 का इन्द्राज कराये तथा
खसरा नम्बर 582/981 को सड़क के स्थान पर दर्ज कराये।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:-

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शा वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह
तहसील बसेड़ी के खसरा नम्बर 582/981 गैर 0 मु0 सड़क के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी
के खसरा नम्बर 583/989 व 583/990 के इन्द्राज किये जावे तथा खसरा नम्बर 583/989
के स्थान पर खसरा नम्बर 582/981 का इन्द्राज किये जाने आदेश किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/नोटिस
तलब किया गया। अप्रार्थी 02 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत न होने पर एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी 01 तहसीलदार बसेड़ी की ओर से अपने जबाब में
अंकित कथनों को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट की चरण संख्या 6 में उल्लेख किया गया है कि
तहसील बसेड़ी में सेग्रिगेशन की कार्यवाही हुई और सेग्रिगेशन कार्यवाही में खसरा नम्बर
583/990 का कोई अस्तित्व खत्म नहीं किया है अपितु ख0नं0 583/990 रकबा 0.0100
हेक्टेयर किस्म गैर मुगकिन कुंआ अपने मूल स्थान पर मौके की यथास्थिती अनुसार बना हुआ
है। तथा खसरा नम्बर 583/989 गैर मुगकिन मंदिर को उसके मूल स्थान से हटाकर खसरा
नम्बर 582/981 के स्थान पर दर्ज कर दिया है जो गलत है खसरा नम्बर 583/989 को
उसके मूल स्थान नये नक्शे में 582/981 के स्थान पर खसरा नम्बर 583 के उत्तर पश्चिम में
दर्ज किया जाना चाहिए खसरा नम्बर 583/989 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म गैर मुगकिन
मंदिर को ख0नं0 582/981 रकबा 0.1000 किस्म गैर मुगकिन सड़क को आपस में बदला
जावे तथा खसरा नम्बर 583/990 रकबा 0.0100 गै.मु.कुंआ अपने मूल स्थान पर है।


बहरस सुनी गई। हमने बहस का गनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों नकल जमाबंदी खाता संख्या 10 वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तह0 बसेड़ी सम्वत
2074, नकल जमाबंदी खाता संख्या 336 वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तह0 बसेड़ी सम्वत 2074,
नकल नक्शा अक्स वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तहसील बसेड़ी, नकल नक्शा अक्स फोटो प्रति
वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तह0 बसेड़ी, नकल नक्शा अक्स वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह सन
2002, नकल नक्शा पुराना सम्वत 2022 वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तहसील बसेड़ी तथा
जबाब अप्रार्थी तहसीलदार बसेड़ी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Sunit
उपसम्वत अधिकारी
बसेड़ी (बे.पुर) सव.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शा वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वीसिंह तहसील बसेडी के खसरा नम्बर 582/981 गै0मु0सडक के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 583/989 व 583/990 के इन्द्राज किये जावे तथा खसरा नम्बर 583/989 के स्थान पर खसरा नम्बर 582/981 का इन्द्राज किये जावे। पत्रावली फैसल शमार हीकर नम्बर से कम होकर दाखिल अभिलेखागार हों।

तहरीर तहसीलदार बसेडी को जारी हो ।

आज दिनांक 23.05.2025 को यह फैसला खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(सुधरानी मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड सेविका
बसेडी (बेगपुर) ज.प.